संख्या-421/2017/1777/22-2-2016-17(420)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परसादी लाल पुत्र श्री जियालाल, निवासी-जनपद-बरेली वर्तमान-जनपद-बदायूँ की दयायाचिका आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक 05-09-2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी परसादी लाल पुत्र श्री जियालाल, निवासी-जोखनपुर, थाना-शीशगढ़, जनपद-बरेली, हाल निवासी-8/94, काशीराम आवास, मोहल्ला बहादुगंज मानकपुर रोड उझानी विद्यामंदिर के पास कस्बा व थाना-उझानी, जनपद- बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 26.10.1984 को बन्दी ने बन्दूक से गोली मारकर लालजी नामक व्यक्ति की हत्या की व उसकी पुत्री को घायल किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-89/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांक 12.02.1987 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2003 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 13 वर्ष 06 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन सक्षम स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अस्वीकृत किया गया।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी परसादी लाल (बन्दी संख्या-42826) पुत्र श्री जियालाल निवासी जनपद-बरेली वर्तमान जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-421/2017/1777/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in